मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 30.06.2026

थाना को0देहात पुलिस द्वारा शादी कराने के नाम पर ठगी तथा जबरन वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 05 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार—

थाना को0देहात जनपद मीरजापुर पर दिनांक:29.06.2026 को वादी पुष्पेन्द्र पुत्र भूपेश कुमार निवासी बुढवाल, तर-बहरोड, थाना बहरोड सदर, जिला कोटपुतली बहरोड राजस्थान द्वारा नामजद अभियुक्त/अभियुक्ता के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत लोहंदी कला गाँव में स्थित हनुमान मन्दिर पर दिनांक 28.06.2026 को वादी को उसके बुआ के दो लड़कों की शादी कराने के नाम पर ठगी करने तथा जबरन पैसा वसूलने की घटना के सम्बन्ध में दिए गए प्रार्थना पत्र पर थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 330/2026 धारा 318(4),61(2),308(5),351(3) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक को0देहात को निर्देश दिए गए । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0देहात पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये ₹1,30,000/- अभियुक्तों के बैंक अकाउण्ट में होल्ड कराया गया तथा मुख्य अभियुक्त/अभियुक्ता 1.लवकुश पुत्र जेठू यादव निवासी जैकर कला थाना लालगंज मीरजापुर, 2.गुडिया यादव पुत्री मवल यादव पत्नी दीपक निवासी नेवढिया थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर, 3.राधा कोल पुत्री तौलन पत्नी राजेन्द्र यादव निवासी नेवढीया दीपनगर थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर, 4.दीपक पाल पुत्र कृष्णा पाल निवासी कोकड़ा जनपद मुजफ्फरनगर व 5. राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र शंकर लाल यादव निवासी कोलवा मूंगरु थाना श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान को आज दिनांक 30.06.2026 को लोहंदी कला से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त 04 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया, नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ — अभियुक्तों द्वारा पूछताछ से बताया गया कि राजस्थान से भोले भाले लोगों को अपने संगठित गिरोह के माध्यम से साजिश के तहत लड़की से शादी कराने के नाम पर मीरजापुर बुलाकर शादी का फर्जी ढोंग रचते हुये गलत मुक्दमा में फँसाने तथा जान से मारने की धमकी देकर जबरन ऑनलाइन व नगद पैसों की वसूली हम लोग करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-

1.लवकुश पुत्र जेठू यादव निवासी जैकर कला थाना लालगंज मीरजापुर ।

2.गुडिया यादव(सपा नेत्री) पुत्री मवल यादव पत्नी दीपक निवासी नेवढिया थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर ।

3.राधा कोल पुत्री तौलन पत्नी राजेन्द्र यादव निवासी नेवढीया दीपनगर थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर ।

4.दीपक पाल पुत्र कृष्णा पाल निवासी कोकड़ा जनपद मुजफ्फरनगर उतर प्रदेश ।

5. राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र शंकर लाल यादव निवासी कोलवा मूंगरु थाना श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।

विवरण बरामदगी—

घटना में प्रयुक्त 04 अदद मोबाइल फोन (ओप्पो रेनो 15 C, वीवो X FOLD 5, सैमसंग, रेडमी)

01 अदद अर्टिगा कार वाहन संख्याः UP 12 CT 9020 कार

थाना को0देहात साइबर सेल द्वारा खाते में होल्ड करायी गयी धनराशि ₹ 1,30,000/-

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक अमित मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना को0देहात मय पुलिस टीम।
उपनिरीक्षक उमाशंकर यादव थाना को0देहात मय पुलिस टीम।